हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
सामान्य प्रशासन शाखा

.....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद की वर्ष, 2013 की चतुर्थ आपातकालीन बैठक की कार्यवाही जो दिनांक 12 जुलाई, 2013 को पूर्वान्ह 11—00 बजे आचार्य ए0डी0एन0 वाजपेयी, कुलपति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई । बैठक में निम्नलिखित सम्माननीय सदस्य उपस्थित हुए :—

1— डॉ0 दिनकर बुराठोकी
2— प्रो0 डी0सी0 गौतम
4— डॉ0 एस0सी0 शर्मा
5— डॉ0(श्रीमती) उमा वर्मा
6— प्रो0 सुरेश कुमार
7— श्री चन्द्र शेखर
8— श्री देवी राम वर्मा
9— श्री बम्बर ठाकुर
10— श्री हरीश जनारथा
11— डॉ0 के0पी0 ठाकुर
12— प्रो0 एम0एल0 झारटा —कुलसचिव
सदस्य—सचिव

<u>**मद संख्याः1 :**</u> कुलपति महोदय का वक्तव्य ।

....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की वर्ष 2013 की चतुर्थ आपातकालीन बैठक में आप सभी सम्माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन् करते हुए मुझे आपको इस विशेष बैठक के आयोजन के सम्बन्ध में मुख्य तथ्यों से अवगत करवाना है।

सत्र 2013-14 के दौरान शैक्षणिक विभागों में प्रवेश के लिए आयोजित की गई प्रवेश परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं तथा प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। स्नातक स्तर की परीक्षाओं के परिणाम भी लगभग घोषित किए जा चुके हैं तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित की गई नेट, जे.आर.एफ. की परीक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्न की गई।

इस अवधि के दौरान विश्वविद्यालय में निम्नलिखित कार्यक्रम, बैठकें, संगोष्ठियां और कार्याशालाएं आयोजित की गईंः-

1. दिनांक 07.06.2013 को विश्वविद्यालय न्यूजलैटर के नवीनतम संस्करण हिमशिखर का महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश एवं कुलाधिपति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय श्रीमती उर्मिला सिंह द्वारा लोकार्पण किया गया।

2. दिनांक 11.06.2013 को राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रसार अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ हुआ।

3. दिनांक 12.06.2013 को श्री वेद प्रकाश शर्मा, महानिरीक्षक मध्य प्रदेश पुलिस, रीवा, द्वारा पुलिस प्रशासन योगा विषय पर विशेष व्याख्यान दिया गया।

4. दिनांक 15.06.2013 को विश्वविद्यालय में ई-पुस्तकें प्राप्त करने के लिए विचार विमर्श किया गया जिसमें पुस्तकालय से सम्बन्धित अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी भाग लिया।

5. दिनांक 17.06.2013 को सचिववालय में आयोजित की गई राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा के सम्बन्ध में आयोजित की गई बैठक में भाग लिया।

6. दिनांक 19.06.2013 को कैनेडा के व्यापार सम्बन्धित अधिकारी श्री चारू सन्धू और कैनेडा उच्चायोग में अधिकारी स्काटस स्लैसर से विश्वविद्यालय में कुलपति की शिष्टाचार स्वरूप भेंट हुई।

7. दिनांक 19.06.2013 को विश्वविद्यालय द्वारा मुशायरे का आयोजन किया गया जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कला एवं साहित्य के आचार्य जॉनी फॉस्टर ने विशेष रूप से भाग लिया।

8. दिनांक 20.06.2013 को दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. दिनेश सिंह ने अपने विशेष व्याख्यान में उच्चतर शिक्षा में अपने अनुभवों को विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सांझा किया।

9. दिनांक 21.06.2013 को अकादमिक स्टाफ कॉलेज में विशेष व्याख्यान दिया।

10. दिनांक 22.06.2013 को विधि विभाग में दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई जिसका विषय 'असंगठित श्रमगारः श्रम कानून, सामाजिक सुरक्षा, संघीकरण और आधुनिक न्याय सम्बन्धी घोषणा' था। इस कार्यशाला में उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश, न्यायमूर्ति राजीव शर्मा ने विशेष रूप से भाग लिया।

11. दिनांक 24.06.2013 को अकादमिक स्टाफ कॉलेज में 'गणित विषय' पर पुनःश्चर्या कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।

12. दिनांक 26.06.2013 को विधि विभाग के सभागार में एन.एस.यू.आई. द्वारा आयोजित छात्र पंचायत में विश्वविद्यालय प्रशासन ने भाग लिया तथा मौके पर ही कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

13. दिनांक 05.07.2013 को कृषि मूल्य लागत योजना के तत्वावधान में दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया।

14. दिनांक 06.07.2013 को अकादमिक स्टाफ कॉलेज में विशेष व्याख्यान दिया।

15. दिनांक 08.07.2013 को अकादमिक स्टाफ कॉलेज में 'अंग्रेजी' विषय पर पुनःश्चर्या कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।

16. दिनांक 10.07.2013 को च्वाईस बेस्ड क्रैडिट सिस्टम पर प्राईवेट कॉलेजों के प्राचार्यों की एक बैठक रूसा के सम्बन्ध में आयोजित की गई।

17. दिनांक 11.07.2013 को वित्त समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें वित्त से सम्बन्धित कई मुद्दों पर निर्णय लिये गये।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने सभी सम्माननीय सदस्यों से क्षमा याचना की कि अधिकारीगण बैठक की कार्यसूची सम्माननीय सदस्यों को समय पर उपलब्ध नहीं करवा पाये इसलिए यह कार्यसूची यथास्थान कार्यकारिणी परिषद के समक्ष रखी जा रही है । उन्होंने इस शिथिलता हेतु सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए भी आदेशित किया ।

तदुपरान्त अध्यक्ष महोदय ने परिषद को सूचित किया कि श्री सुमित खिमटा, कुलसचिव के विदेश में अध्ययन/प्रशिक्षण हेतु जाने पर आचार्य एम.एल. झारटा जो कि वर्तमान में अधिष्ठाता छात्र कल्याण तथा अध्यक्ष समाजशास्त्र के पद पर कार्यरत हैं को कुलसचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है तथा आज आचार्य झारटा पहली वार कार्यकारिणी परिषद की कार्यवाही का संचालन करेंगे ।

पुनः उन्होंने कुलसचिव से आज के लिए प्रस्तावित मदों को परिषद् के सम्मुख चर्चा के लिए प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया ।

<u>मद संख्याः 2:</u> पुराने स्वास्थ्य केन्द्र के समीप दुकानों के किराए से सम्बन्धित मामलों को निपटाने/सुलझाने हेतु गठित समिति की बैठक जो दिनांक 23–2–2013 को आयोजित की गई की कार्यवाही कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

....

कार्यकारिणी परिषद ने पुराने स्वास्थ्य केन्द्र के समीप दुकानों के किराए से सम्बन्धित मामलों को निपटाने/सुलझाने हेतु गठित समिति की सिफारिशों पर विचार–विमर्श करने के उपरान्त यह निर्णय लिया कि इस मामले का पिछले 25 वर्षों से कोई समाधान नहीं निकल पाया है । तथा इसके साथ–साथ विश्वविद्यालय कैम्पस में जो भी दुकानें हैं उनका निपटारा करने हेतु निम्नलिखित सदस्यों की समिति गठित की :–

1– श्री हरीश जनारथा	–अध्यक्ष
2– श्री चन्द्र शेखर	–सदस्य
3– कुलसचिव	–सदस्य
3– सहायक कुलसचिव (सम्पदा)	–सदस्य–संयोजक

<u>मद संख्याः3:</u> माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी.पी.डब्ल्यु. संख्याः1862 ऑफ 2011 में पारित आदेशानुसार बी.एड. कोर्स से सम्बन्धित सम्बद्धता एवं निरीक्षण शुल्क की अधिसूचनाएं दिनांक 5–10–2009 एवं 27–11–2010 जो कि पूर्व में कार्यकारिणी परिषद द्वारा अनुमोदित हैं, को निरस्त करने का मामला कार्यकारिणी परिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है ।

....

कार्यकारिणी परिषद ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी.पी.डब्ल्यु. संख्याः1862 ऑफ 2011 में पारित आदेशानुसार बी.एड. कोर्स से सम्बन्धित सम्बद्धता एवं निरीक्षण शुल्क की अधिसूचनाओं दिनांक 5–10–2009 एवं 27–11–2010 को निरस्त करने के मामले पर निम्नलिखित सदस्यों की समिति का गठन कियाः

1– प्रो0 सुरेश कुमार, अधिष्ठाता अध्ययन	–अध्यक्ष
2– डॉ0 दिनकर बुराठोकी, शिक्षा निदेशक	–सदस्य
3– सहायक कुलसचिव(शैक्षणिक)	–सदस्य–संयोजक

<u>मद संख्याः4:</u> कार्यकारिणी परिषद में स्वीकृकति हेतु प्रेषित विश्वविद्यालय में चित्रकला विषय में सराहनीय प्रदर्शन के लिए महिला विद्यार्थी को **चारू कैसल** स्मारक स्वर्ण पदक प्रारम्भ करने हेतु ।

....

कार्यकारिणी परिषद ने चित्रकला विषय में शीर्ष स्थान पर आने वाली महिला विद्यार्थी को **"चारू कैसल"** स्मारक स्वर्ण पदक प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की ।

<u>मद संख्याः5:</u> हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद के समक्ष 4 सहायक अभियन्ताओं के पद पर भर्ती एवं पदोन्नति नियम 7 (ii) के अन्तर्गत तदर्थ एवम् काम चलाऊ आधार पर एक वर्ष के बाद की सेवाओं को नियमितीकरण की तिथि तक यथावत रखने बारे अनुमोदन हेतु ।

....

कार्यकारिणी परिषद ने श्री जय कृष्ण गुप्ता, सहायक अभियन्ता को दिनांक 7–6–2007 से 10–9–2007 तक व सर्वश्री ज्योति प्रकाश, अशोक राणा व संजय कुमार भारद्वाज सहायक अभियन्ताओं के

तदर्थ सेवाकाल को दिनांक 7–6–2007 से 28–2–2008 तक नियमित करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या:6: पुनर्मल्यांकन के valuable फार्म बनवाने बारे कार्यकारिणी परिषद की मंजूरी ।

....

कार्यकारिणी परिषद ने पुनर्मूल्यांकन के रू0 120/– valuable फॉर्म प्रति पेपर/पाठ्यक्रम के अनुसार अलग–अलग भरने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या:7: श्री सुमित बी.डी.एस. (फाईनल) रोल नं0–15489 के परीक्षा परिणाम को संशोधित करने के बारे प्रस्ताव ।

......

कार्यकारिणी परिषद ने विचार–विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया कि डॉ0 के.पी. ठाकुर, श्री देवी राम वर्मा, सदस्य कार्यकारिणी परिषद तथा परीक्षा नियन्त्रक को मामले का परीक्षण करने हेतु मनोनीत किया तथा यह निर्णय लिया कि यदि सब कुछ ठीक पाया जाये तो परीक्षा परिणाम को संशोधित कर दिया जाये ।

मद संख्या:8: कार्यकारिणी परिषद के समक्ष सहायक आचार्य डॉ0 सोनिया खान द्वारा अध्यादेश 36.4(d) के प्रावधानों के अन्तर्गत शैक्षणिक कार्य के लिए उपभोग की गई असाधारण अवकाश की अवधि को पदोन्नति के लिए गणना में लेने के सम्बन्ध में किये गए निवेदन को विचारार्थ एवं ऐसे निर्णय हेतु जैसा कि परिषद उचित समझे प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने अधिष्ठाता अध्ययन को मामले का परीक्षण करने हेतु प्राधिकृत किया ।

मद संख्या:9: दिनांक 15–3–2013 को श्री संजय शर्मा, अधिशासी अभियंता (निर्माण) द्वारा अन्य छात्र प्रतिनिधियों के साथ रेणुका कन्या छात्रावास में बिना अनुमति प्रवेश मामले में जांच प्रतिवेदन कार्यकारिणी परिषद के सन्मुख अवलोकनार्थ, विचारार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है ।

....

कार्यकारिणी परिषद ने कुलपति को मामले में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्राधिकृत किया ।

मद संख्या:10: विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 37 के प्रावधान के अनुसार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011–2012 कार्यकारिणी परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु ।

......

कार्यकारिणी परिषद ने विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–37(1) के अनुसार विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011–2012 को विश्वविद्यालय कोर्ट के समक्ष रखने हेतु अनुमोदित किया ।

मद संख्या:11: कार्यकारिणी परिषद के समक्ष श्री सुनील कुमार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय बी.टैक तृतीय सत्र रोल नं0–1663 का माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार विशेष परिस्थितियों में परिणाम घोषित करने हेतु आदेश विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

....

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यकारिणी परिषद ने विशेष परिस्थितियों में श्री सुनील कुमार बी.टैक तृतीय सत्र रोल नं0–1663 का परीक्षा परिणाम घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की। परिषद ने आगे इस मामले की छानबीन करने हेतु निम्नलिखित सदस्यों की समिति का गठन किया :–

1– श्री बम्बर ठाकुर –अध्यक्ष
2– प्रो0 डी.सी. गौतम –सदस्य
3– अधिष्ठाता, यांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी –सदस्य
4– उप–कुलसचिव (परीक्षा) –सदस्य–संयोजक

मद संख्या:12: विश्वविद्यालय परिसर में लोकल एरिया नेटवर्क फेस–।। (परिसर एवं छात्रावास,) जिसके 75 प्रतिशत वित्त पोषण मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार (एलएमईआईसीटी) तथा 25 प्रतिशत विश्वविद्यालय हिस्सेदारी, को लागू करने के सम्बन्ध में मामला कार्यकारिणी परिषद के सम्मुख प्रस्तुत करने हेतु ।

....

अनुमोदित।

मद संख्या:13: कार्यकारिणी परिषद की दिनांक 27–4–2013 को हुई बैठक में मद संख्या: 2(20) के अन्तर्गत गठित समिति की सिफारिशें परिषद के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदन हेतु ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने श्री अमित कुमार एम.एड. भाग–II रोल नं0–66430 के परीक्षा परिणाम को समिति की सिफारिशों के आधार पर निरस्त कर दिया ।

मद संख्या:14: वित्त समिति की सिफारिशों (Recommendations) की अनुशंसा की गई ।

यथा स्थान ली गई मदें :

अध्यक्ष महोदय ने परिषद को सूचित किया कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने आग्रह किया हैं कि शिक्षकों के सी.ए.एस. के अन्तर्गत लिए गए साक्षात्कारों की सिफारिशों के सीलबद्ध लिफाफों को खोलने का आग्रह किया है इस पर विचार–विमर्श के पश्चात् यह निष्कर्ष निकला कि इस सम्बन्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश आये हुए हैं जिस पर प्रथम दृष्टया में कानूनी सलाह ली जाए और अगली बैठक में यथावश्यक निर्णय लिया जाये ।

श्री हरीश जनारथा

सम्माननीय सदस्य श्री हरीश जनारथा हि0प्र0 विश्वविद्यालय मॉडल स्कूल की अविभावकों द्वारा की गई शिकायत का मामला परिषद के समक्ष उठाया । जिस पर परिषद ने निर्णय लिया कि अधिष्ठाता अध्ययन मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट अग्रिम कार्रवाई हेतु कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेंगे ।

श्री जनारथा ने विद्यार्थी संघों द्वारा सौंपे गये ज्ञापनों को कार्यकारिणी परिषद के सम्मुख रखा । जिस पर विचार–विमर्श में यह सामने आया कि एम.एस.सी. माइक्रोवॉयोलॉजी तथा बी.एच.एम. आदि पाठ्यक्रमों में नियमित शिक्षक नहीं हैं इसलिए विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम ठीक नहीं आ रहा है । इस पर यह निर्णय लिया गया कि स्वयं–पोषित योजना के अंतर्गत शिक्षकों की तैनाती तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने हेतु कार्यवाई प्रारम्भ की जाए ।

कार्यकारिणी परिषद के सदस्य श्री हरीश जनारथा जी ने क्षेत्रीय केन्द्र, धर्मशाला से स्थानान्तरित विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों का स्थानान्तरण का मामला उठाया और कहा कि उनका स्थानान्तरण विश्वविद्यालय के विधि विभाग में ही किया जाए न कि विश्वविद्यालय विधि अध्ययन संस्थान, शिमला में जिसका समर्थन श्री चन्द्रशेखर एवं श्री बम्बर ठाकुर ने किया । श्री जनारथा जी के इस प्रस्ताव का कार्यकारिणी परिषद ने समर्थन किया ।

श्री बम्बर ठाकुर एवं चन्द्र शेखर

सम्माननीय सदस्य श्री बम्बर ठाकुर ने कहा कि बिलासपुर में बी.जे.एम.सी. पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु प्रदेश सरकार से अनापत्ति प्रमाण–पत्र आ चुका है तथा अब इस मामले में विश्वविद्यालय के स्तर पर की जाने वाली अग्रिम कार्रवाई शीघ्र अमल में लाई जाए ताकि वहां कक्षाएं शुरू हो सकें ।

सम्माननीय सदस्य श्री चन्द्र शेखर ने कहा कि राजकीय महाविद्यालय, सरकाघाट में चलाए जा रहे BBA एवं BCA पाठ्यक्रमों में क्रमशः 20 व 40 सीटें बढ़ाई जाएं । इस पर परिषद ने कहा कि सीटें बढ़ाने हेतु प्रथम दृष्ठया में मामला सम्बन्धित प्रधानाचार्य के साथ उठाया जाए ।

इसके अतिरिक्त वित्त समिति ने आई.आई.एच.एस. में कार्यरत अनुसंधान/शोधकर्ताओं तथा अन्य कर्मचारियों को नियमित तौर पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार स्वयं–पोषित योजनाओं के अन्तर्गत चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों के **अधिशेष** निधि से वेतन प्रदान करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की है ।

कार्यकारिणी परिषद ने आई.आई.एच.एस. को संकाय बनाने तथा अन्य मामलों के परीक्षण तथा सिफारिश हेतु निम्नलिखित सदस्यों की समिति गठित की :

1– श्री बम्बर ठाकुर	–अध्यक्ष
2– अधिष्ठाता अध्ययन	–सदस्य
3– अधिष्ठाता जीव–विज्ञान संकाय	–सदस्य
4– अधिष्ठाता, योजना एवं शिक्षक मामले	–सदस्य
5– अधिष्ठाता, महाविद्यालय विकास परिषद	–सदस्य
6– अधिष्ठाता, समाज–विज्ञान संकाय	–सदस्य
7– वित्त अधिकारी	–सदस्य
8– निदेशक,आई.आई.एच.एस.	–संयोजक

कार्यकारिणी परिषद के सम्माननीय सदस्य आचार्य कैलाश चन्द ठाकुर जी की पूज्य माता जी के दुःखद निधन पर सभी ने दो मिनट का मौन धारण कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की ।

बैठक पीठ को धन्यवाद् प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई ।

(आचार्य एम.एल. झारटा)
कुलसचिव
सदस्य–सचिव

पुष्टिकरण

हस्ता0/–

(आचार्य ए.डी.एन. बाजपेयी)
सभापति/कुलपति